

**संघ लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने संबंधी प्रपत्र**  
(कृपया इस प्रपत्र को दो प्रतियों में विधिवत भरें।)

अधियाचनाकर्ता संगठन का नाम :

पद/पदों पर भर्ती :

1. क्या अधियाचनाकर्ता प्राधिकारी को सीधे संघ लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है?

2. पदों का संक्षिप्त विवरण :

पदनाम	वेतनमान एवं कुल परिलब्धियाँ* (एचआरए एवं सीसीए को छोड़कर)	समूह एवं सेवा संवर्ग	अनुमोदित पदों की कुल संख्या	
			स्थायी	अस्थायी

\*आयोग द्वारा विशेष रूप से योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए उच्च प्रारंभिक वेतन की अनुशंसा की जा सकती है।

3. (क) रिक्तियों की संख्या जिसके लिए यह अधियाचना भेजी जा रही है :

श्रेणी	स्थायी	अस्थायी	कुल
(i) अनुसूचित जाति			
(ii) अनुसूचित जनजाति			
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग			
(iv) अनारक्षित			
(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
(vi) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति			
कुल (i) से (vi)			

(ख) क्या रिक्ति/रिक्तियों को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है :

क्र. सं.	दिव्यांगता श्रेणी	अनुज्ञेय दिव्यांगता की उप-श्रेणी
(i)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	
(ii)	बधिर एवं ऊंचा सुनने वाले	
(iii)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थता, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, मांसपेशीय कुपोषण, मेरुदंडीय विकृति एवं बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के मेरुदंडीय चोट।	
(iv)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग	
(v)	खंड (i) से (iv) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों तथा बधिर-दृष्टिहीनता में से बहुविध अक्षमता वाले व्यक्ति	
	योग :	

(ग) रिक्तियाँ कैसे सृजित हुईं?

(घ) क्या संवीक्षा समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/8/2001-पीआईसी दिनांक 16.05.2001 के अनुसार रिक्ति(यों) को मंजूरी दी है/पर अनापत्ति दी है?

(ङ) क्या अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था.(आर.) दिनांक 02.07.97, में यथा निर्धारित सामान्य सिद्धांतों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-स्था.(आर.) दिनांक 31.01.2019 के कंडिका 6 में यथाउल्लिखित हाल ही में पुनर्गठित समूहवार पद-आधारित आरक्षण रोस्टर के आधार पर तैयार किया गया है ?

(च) क्या बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/02/2017-स्था.(आर.) दिनांक 15/01/2018 के अनुसार 100 बिंदु रिक्ति रोस्टर के आधार पर तैयार किया गया है?

4. (क) यदि रिक्ति/रिक्तियां स्थायी/अस्थायी है/हैं तो इसे/इन्हें किस आधार पर भरा जाना है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

(ख) यदि रिक्ति/रिक्तियां अस्थायी हैं, तो क्या ये गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 2/4/67-स्था.(बी) दिनांक 08.06.67 के अनुसार में तीन वर्षों से अधिक समय तक मौजूद रहेंगी।

5. क्या वर्तमान में अधियाचित किए जा रहे पद (पदों) के संबंध में किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है/लंबित है।

(क) यदि हां, तो ओए संख्या/सीडब्ल्यूपी सं. / एसएलपी, संख्या, आदि के साथ मामले की वर्तमान स्थिति बताएं। न्यायालय से प्राप्त निर्देशों की एक प्रति, यदि कोई हो, अधियाचना के साथ संलग्न की जा सकती है।

(ख) यह भी बताएं कि इस तरह के न्यायालयी मामले का वर्तमान अधियाचना पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

टिप्पणी : अधियाचना भेजने के बाद उत्पन्न होने वाले न्यायालयी मामले (मामलों) का विवरण, यदि कोई हो, और ऐसे न्यायालयी मामले (मामलों) को भेजे गए अधियाचना पर पड़ने वाले प्रभाव, आयोग को यथाशीघ्र और अविलंब अवगत कराया जाएगा।

6. क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पदों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई है?

(क) यदि हां, तो आयोग के पत्र की संदर्भ संख्या और तिथि बताएं और नियमों की एक अद्यतित और प्रमाणित प्रति संलग्न करें। अधिसूचित भर्ती नियम की सत्यापित और प्रमाणित प्रति जिसमें जी.एस.आर. संख्या, नवीनतम संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, अधियाचना के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) यदि संलग्न नहीं है तो कारण (णों) का उल्लेख करें।

(ग) कृपया बताएं कि क्या भर्ती नियमों में संशोधन/पुनरीक्षण का संदर्भ आयोग को दिया गया है। यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग के पत्र क्रमांक और दिनांक का ब्यौरा दें।

7. क्या कंडिका 6 (क) से (ग) में संदर्भित अधिसूचित भर्ती नियम अब तक पांच (5) वर्ष से अधिक पुराने हैं।

(क)(1) यदि इन नियमों की समीक्षा की गई है तो आयोग को भेजे गए प्रस्ताव की संदर्भ संख्या और तिथि बताएं।

(क)(2) यदि समीक्षा नहीं की गई है, तो तत्संबंधी कारण बताएं।

(क)(3) क्या अब अधियाचित पद(पदों) को मौजूदा ऐसे भर्ती नियमों के आधार पर विज्ञापित/भरा जाना है/हैं, जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं।

(ख)(1) क्या मौजूदा भर्ती नियमों की अधिसूचना के बाद अब अधियाचित पद(पदों) को कभी अपग्रेड किया गया था।

(ख)(2) यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग द्वारा आयोग को भेजे गए के पत्र का संदर्भ और तारीख बताएं। अधिसूचना की जी.एस.आर. संख्या और तारीख बताएं।

(ख)(3) यदि आयोग से संपर्क नहीं किया गया था, तो तत्संबंधी कारण बताएं।

8. कृपया बताएं कि क्या वर्तमान रिक्ति या रिक्तियां सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत आती हैं।

9.(क) यदि भर्ती नियमों में अन्य तरीकों का प्रावधान है, तो कृपया बताएं कि क्या कार्रवाई की गई और संघ लोक सेवा आयोग से पत्राचार का संदर्भ और तारीख भी सूचित करें।

(ख) यदि सीधी भर्ती के लिए वर्तमान अधियाचना भर्ती के किसी अन्य पद्धति के कारण विफल होती है, तो सीधी भर्ती का सहारा लेने के लिए मंत्रालय / विभाग को दी गई आयोग की सलाह की संदर्भ संख्या और तारीख बताएं।

10. योग्यता(एं)

(क) अनिवार्य :

(ख) वांछित :

(ग) अनुभव :

11. केंद्र सरकार के कर्मचारी/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आदि के लिए आयु सीमा एवं अनुमेय छूट।

12. परीक्षा की अवधि :

13. कार्यो का संक्षिप्त विवरण :

(संक्षेप में 40 शब्दों से अधिक न लिखें)

14. स्थान(नों) जहां अधिकारी(ओं) को सेवा देना अपेक्षित होगा :

15. क्या सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 30 के तहत अनुमेय सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ लागू है :

16. कोई अन्य अपेक्षाएं या शर्तें जो ऊपर शामिल नहीं की गई हैं :

17. यदि समान पदों के लिए पूर्व में सीधी भर्ती की गई थी तो आयोग से किए गए नवीनतम पत्राचार का संदर्भ एवं तिथि बताएं :

18. मंत्रालय के प्रतिनिधि का नाम, पता और दूरभाष- जिनके साथ इन प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है :

19. \*यह प्रमाणित किया जाता है कि:

(क) "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की अपेक्षाएं जो 19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हो गई हैं और इस अधियाचना को भेजते समय - दिनांक 4 जनवरी, 2021 के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III एवं दिनांक 24 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. 30-12/2020-डीडी-III सहित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस अधियाचना में बताई गई रिक्तियां 100 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर के चक्र सं. \_\_\_\_\_ प्वाइंट सं. \_\_\_\_\_ पर आधारित है जिसमें से \_\_\_\_\_ रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, एवं

\*i) इस अधियाचना के तहत ..... के पद की पहचान बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त तथा उनके द्वारा संचालित होने के रूप में किया गया है। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को रिक्ति प्रपत्र में उपयुक्त रूप से दिखाया गया है।

अथवा

\*ii) इस अधियाचना के तहत ..... के पद की पहचान बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है। प्रस्तावित रिक्तियों में से कोई भी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं है (अर्थात् पद उपयुक्त है लेकिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं है)।

अथवा

\*iii) अधियाचित ..... के पद की पहचान बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त के रूप में किया गया है (अर्थात् पद उपयुक्त नहीं है और इस प्रकार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं है)।

अथवा

\*iv) जिस एजेंसी के लिए यह अनुरोध ..... भेजा जा रहा है, उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधान से छूट प्राप्त है जिसे कि राजपत्र अधिसूचना सं. .... के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(ख) सभी सीधी भर्ती रिक्तियों की जांच और का. एवं प्रशि.वि. के दिनांक 16.05.2001 के का. जा. संख्या 2/8/2001-पीआईसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कमी को लागू करने के बाद अधियाचित किया जा रहा है।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ (अब पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन प्रभाग के रूप में नामित) और महानिदेशक (पुनर्स्थापना), रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं, एवं इस अधियाचना के अनुलग्नक के रूप में रखे गए हैं।

(घ) अधियाचना करने से पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

(ङ) अधियाचना को संबंधित संयुक्त सचिव/अपर सचिव द्वारा देखा जा चुका है (नाम और पदनाम दिया जाए) एवं उनके अनुमोदन से भेजा जा रहा है।

(\*जो खंड लागू न हों उन्हें काट दें)

अधियाचना भेजने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

टेलीफोन नं. :

स्थान:

दिनांक:



चयन द्वारा भर्ती हेतु अधियाचना - जाँच-सूची

क्र.सं.	अपेक्षित सूचना	मद संख्या	हाँ/नहीं
1.	क्या अधियाचना को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है?		हाँ/नहीं
2.	क्या अधियाचना में नाम, पदनाम, एवं टेलीफोन संख्या दर्शाते हुए अधियाचनाकर्ता प्राधिकारी के मूल रूप से हस्ताक्षर किए हुए हैं?		हाँ/नहीं
3.	क्या अधियाचनाकर्ता प्राधिकारी को सीधे संघ लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रस्तुत करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है?	1	हाँ/नहीं
4.	यदि हाँ, तो क्या संबंधित दस्तावेज/आदेश संलग्न किया गया है?	1	हाँ/नहीं
5.	क्या पद का संक्षिप्त विवरण पदनाम, वेतनमान और कुल परिलब्धियों (एचआरए और सीसीए को छोड़कर), समूह और सेवा संवर्ग के बारे में अपेक्षित प्रारूप में दिया गया है और भर्ती नियमों के अनुसार स्वीकृत पदों की कुल संख्या (स्थायी और अस्थायी) को दर्शाया गया है?	2	हाँ/नहीं
6.	क्या मौजूदा रिक्तियों और अधियाचना की तारीख से एक वर्ष तक की प्रत्याशित रिक्तियों को दिनांक 13.03.1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/38/69-स्था (बी) के साथ पठित गृह मंत्रालय के दिनांक 10.06.1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/21/68-आरपीएस तथा उसके तहत/उसमें किए गए संशोधन/निर्देश/ को शामिल किया गया है?	3	हाँ/नहीं
7.	क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था.(आर.) में यथा निर्धारित पद - आधारित आरक्षण रोस्टर तैयार एवं लागू करने संबंधी सामान्य सिद्धांतों तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आर.) के कंडिका 6 में यथाउल्लिखित, अनुलग्नक II, III, IV एवं V जैसा भी मामला हो में दिए गए प्रारूप के अनुसरण में सीधी भर्ती के लिए नवनिर्मित समूह-वार पद-आधारित आरक्षण रोस्टर के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व. एवं ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण दिया गया है।	3	हाँ/नहीं
8.	क्या सभी अधियाचना सीधी भर्ती रिक्तियों की जांच और का. एवं प्रशि.वि. के दिनांक 16.05.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001-पीआईसी, में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कमी को लागू	3	हाँ/नहीं

	करने के बाद अधियाचना प्रस्तुत की गई है यदि रिक्तियों के सृजन की तारीख 31.03.2009 से पहले की है?		
9.	क्या अधियाचना में रिक्तियों के सृजित होने के कारणों का उल्लेख सृजित होने की तिथि के साथ किया गया है?	3	हाँ/नहीं
10.	क्या इस अधियाचना को भेजते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है?	3	हाँ/नहीं
11.	क्या बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता और आरक्षण पर का.एवं.प्र. विभाग के दिनांक 15/01/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था(रेसी.) आधार पर विचार/कार्य किया गया है, और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के संबंध में दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा किए गए संशोधनों/समीक्षाओं का समय-समय पर संज्ञान लिया गया है?	3	हाँ/नहीं
12.	यदि रिक्तियों की अधियाचना अस्थायी आधार पर की जा रही है, तो क्या ऐसी रिक्तियां गृह मंत्रालय के दिनांक 08.06.1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.2/4/67-स्था.(बी) और उसके बाद उसमें / उसके तहत किए गए संशोधनों / निर्देशों के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय तक मौजूद रहेंगी?	4	हाँ/नहीं
13.	क्या न्यायालयी मामलों / मुकदमों / निर्णयों के ब्यौरों, यदि कोई हो, का उल्लेख उसके प्रभाव के साथ किया गया है?	5	हाँ/नहीं
14.	क्या यह नोट के अधीन प्रमाणित किया गया है कि अधियाचना भेजने के बाद उत्पन्न होने वाले न्यायालयी मामलों का विवरण, यदि कोई हो, और ऐसे न्यायालयी मामले (मामलों) का प्रभाव भेजे गए अधियाचना पर आयोग को यथाशीघ्र और अविलंब सूचित किया जाएगा?	5	हाँ/नहीं
15.	क्या भर्ती नियमों / सेवा नियमावलियों अर्थात् अधिसूचना, समीक्षा आदि के संबंध में पूर्ण विवरण का उल्लेख किया गया है?	6 एवं 7	हाँ/नहीं
16.	क्या अधिसूचित भर्ती नियमों / सेवा नियमावलियों की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है?	6	हाँ/नहीं
17.	क्या भरी जाने वाली रिक्तियां अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत आती हैं?	8	हाँ/नहीं
18.	यदि सीधी भर्ती की वर्तमान अधियाचना भर्ती के किसी अन्य तरीके के परिणामस्वरूप विफल होने के कारण है, तो क्या मंत्रालय/विभाग को सीधी भर्ती का सहारा लेने के लिए आयोग की सलाह की संदर्भ	9	हाँ/नहीं

	संख्या और तारीख दर्शाया गया है और क्या उसकी प्रति संलग्न की गई है?		
19.	क्या अधिसूचित भर्ती नियमों/सेवा नियमों के अनुसार अनिवार्य और वांछनीय योग्यता विवरण स्पष्ट और व्यापक तरीके से तैयार किए गए हैं?	10	हाँ/नहीं
20.	यदि, उपर्युक्त दर्शाए गए शैक्षिक योग्यता में "या समकक्ष" शब्द शामिल है, तो क्या आयोग के परामर्श से समकक्ष शैक्षिक योग्यता की विस्तृत सूची प्रदान की गई है?	10	हाँ/नहीं
21.	यदि उपर्युक्त अनुभव योग्यता स्पष्ट नहीं/अस्पष्ट है या परिमाणित नहीं है या विशिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रों) में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है जिसमें अनुभव की आवश्यकता है, तो क्या इसे आयोग के परामर्श से स्पष्टतया और स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित किया गया है?	10	हाँ/नहीं
22.	क्या आयु सीमा और छूट अधिसूचित भर्ती नियमों / सेवा नियमावलियों और विषय पर भारत सरकार के मौजूदा निर्देश के अनुसार हैं?	11	हाँ/नहीं
23.	यदि, किसी विशिष्ट प्रावधानों / विशेष परिस्थितियों / न्यायालय के आदेशों के तहत आयु में छूट का संकेत दिया गया है, तो क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति प्राप्त करने वाले नोट्स / पत्राचारों / निर्णय की प्रतियां और आयोग के साथ पूर्व परामर्श संलग्न किया गया है?	11	हाँ/नहीं
24.	क्या इस विषय पर परिवीक्षा की अवधि, तैनाती का स्थान और अन्य विवरण आदि भारत सरकार के मौजूदा अधिसूचित भर्ती नियमों/सेवा नियमावलियों और निर्देशों के अनुसार हैं?	12 एवं 14	हाँ/नहीं
25.	क्या कार्यों को संक्षेप में 40 शब्दों के भीतर दर्शाया गया है?	13	हाँ/नहीं
26.	क्या किसी अन्य आवश्यकता या ऊपर शामिल नहीं की गई शर्तों के बारे में जानकारी, यदि कोई है तो, दी गई है?	16	हाँ/नहीं
27.	यदि पदोन्नति/सीमित प्रतियोगी विभागीय परीक्षा सं.लो.से.आ. द्वारा आयोजित की जाती है, तो क्या बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की गणना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/1/2020-स्था.(रेसी.-II) एवं दिनांक 28.12.2023 के समसंख्याक कार्यालय ज्ञापन में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई है और आरक्षित की गई है।	16	हाँ/नहीं
28.	यदि समान पदों के लिए पूर्व में सीधी भर्ती की गई थी, तो क्या आयोग से नवीनतम संप्रेषण का संदर्भ और तारीख (निष्फल मामले सहित) इंगित की गई है?	17	हाँ/नहीं

29.	यदि वर्तमान अधियाचना, पिछली अधियाचना के छह महीने के भीतर भेजे गए हैं, तो क्या संतोषजनक कारण दर्शाए गए हैं?	17	हाँ/नहीं
30.	क्या मंत्रालय के प्रतिनिधि जिनके साथ प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है, का नाम, पता और दूरभाष संख्या दर्शाया गया है?	18	हाँ/नहीं
31.	जो खंड लागू नहीं हैं, क्या उन्हें काट दिया गया है?	19	हाँ/नहीं
32.	क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से के अधिशेष प्रकोष्ठ से (अब पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन विभाग के रूप में नामित) और महानिदेशक (पुनर्स्थापना), रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और इस अधियाचना के अनुलग्नक के रूप में रखा गया है?	19	हाँ/नहीं
33.	क्या अधियाचना के साथ सभी आवश्यक प्रासंगिक प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं?	19	हाँ/नहीं
34.	क्या उस अधिकारी का नाम, जिन्होंने अधियाचना को मंजूरी दी है, जो संबंधित संयुक्त सचिव / अपर सचिव के स्तर से नीचे के नहीं है, दर्शाया गया है?	19	हाँ/नहीं

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पदों की उपयुक्तता/आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया जाना है:

टिप्पणी : दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के अनुसार, "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसकी विशिष्ट दिव्यांगता चालीस प्रतिशत से कम न हो, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें वे दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए तभी आरक्षित किया जा सकता है जब उसकी पहचान संबंधित श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त हो।

क) रिक्तियों की संख्या : क्षैतिज आरक्षण

क्षैतिज आरक्षण		स्थायी	अस्थायी	कुल
बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	(i)	दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टि		
	(ii)	बधिर एवं ऊँचा सुनने वाले		
	(iii)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, मांसपेशीय कुपोषण, बिना किसी न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के मेरुदंडीय विकृति एवं मेरुदंडीय चोट।		
	(iv)	ऑटिज्म; बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी;		
	(v)	बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (i) से (iv) के तहत आने वाले व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमता।		

ख) कार्यात्मक अपेक्षाएँ

क्रम सं.	कार्यात्मक अपेक्षाएँ	हाँ/नहीं
i)	एस - बैठना	
ii)	एस टी - खड़े होना	
iii)	डब्ल्यू - चलना	
iv)	बी एन - झुकना	
v)	सी आर एल. - रेंगना	
vi)	सी एल - चढ़ना	
vii)	जे यू - कुदना	
viii)	एल - उठाना	
ix)	के सी - घुटने टेकना और झुकना	
x)	आर डब्ल्यू - पढ़ना एवं लिखना	
xi)	एम एफ - उंगलियों से हेरफेर	
xii)	पी पी - खींचना एवं धकेलना	
xiii)	एस ई - देखना	
xiv)	सी - संप्रेषण	
xv)	एच - सुनना	
xvi)	एस डी - मेरुदंडीय विकृति	बिना किसी
xvii)	एस आई - मेरुदंडीय चोट	न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के

ग) कार्यात्मक वर्गीकरण

क्रमांक	पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी	पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी	उपयुक्तता (हाँ/ नहीं)	आरक्षण (हाँ/ नहीं)	
i.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, मांसपेशीय कुपोषण, बिना किसी न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के मेरुदंडीय विकृति एवं मेरुदंडीय चोट।	बीएल-दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं			
		बीए-दोनों हाथ प्रभावित	पहुंचने में असमर्थ		
			पकड़ने में दुर्बलता		
		ओएल - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)	पहुंचने में असमर्थ		
			पकड़ने में दुर्बलता		
			गतिविभ्रमी		
		ओए - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)	पहुंचने में असमर्थ		
			पकड़ने में दुर्बलता		
			गतिविभ्रमी		
		बीएच - अकड़ें हुए पीठ और कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)			
		बीएलए - दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित			
		बीएलओए - दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित			
		ओएलए - एक पैर और एक हाथ प्रभावित	एक पैर (दायां या बायां)	पहुंचने में असमर्थ	
				पकड़ने में दुर्बलता	
			एक हाथ (दायां या बायां)	गतिविभ्रमी	
पहुंचने में असमर्थ					
		पकड़ने में दुर्बलता			
		गतिविभ्रमी			
सीपी - प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात					
एलसी - कुष्ठ रोग उपचारित					
डीडब्ल्यू - बौनापन					
एएवी - तेजाबी हमले से पीड़ित					
एमडीवाई - मांसपेशीय कुपोषण					
एसडी - मेरुदंडीय विकृति	बिना किसी				
एसआई - मेरुदंडीय चोट	न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के				
ii.	दृष्टिहीनता और अल्पदृष्टि	बी - दृष्टिहीन			
		एल.वी. - अल्पदृष्टि			
iii.	बधिर और ऊंचा सुनने वाले	डी- बधिर			
		एचएच -ऊंचा सुनने वाले			

क्रमांक	पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी	पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी	उपयुक्तता (हाँ/ नहीं)	आरक्षण (हाँ/ नहीं)
iv.	ऑटिज्म,  बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग;	एसडी - ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकृति (एम = माईल्ड, एमओडी = मॉडरेट)  आईडी - बौद्धिक अक्षमता  एसएलडी - विशिष्ट अधिगम अक्षमता  एमआई - मानसिक रोग		
v.	बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (i) से (iv) के तहत आने वाले व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमताएं	एमडी - बहुविध अक्षमता		



## विज्ञापन विवरण

पद										
संगठन										
विभाग										
मंत्रालय										
पदों की संख्या	सामान्य	इंडब्ल्यूएस	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)			
							(क)	(ख)	(ग)	(घ) एवं (ङ)

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)\* - क्षैतिज आरक्षण

- (क) दृष्टिहीनता और अल्पदृष्टि;
- (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले;
- (ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, मांसपेशीय कुपोषण, बिना किसी न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के मेरुदंडीय विकृति एवं मेरुदंडीय चोट;
- (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग;
- (ङ) बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमताएं;

### भर्ती मामला

विज्ञापन संख्या	संदर्भ संख्या	विज्ञापन की तिथि (खुलने की तिथि)	भर्ती का वर्ष	अंतिम तिथि (ऑनलाइन आवेदन)	अंतिम तिथि (दस्तावेज़ अपलोड करना)

1. पीडब्ल्यूबीडी की उपयुक्तता: 40%

2. पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण: 40%

क्र. सं.	पीडब्ल्यूबीडी का प्रकार	पीडब्ल्यूबीडी का प्रकार	उपयुक्तता (हां/नहीं)	आरक्षण (हां/नहीं)
(क)	दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि	बी- दृष्टिहीन		
		एलवी - अल्पदृष्टि		
(ख)	बधिर और ऊंचा सुनने वाले	डी - बधिर		
		एचएच- ऊंचा सुनने वाले		
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, मांसपेशीय कुपोषण, बिना किसी न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के मेरुदंडीय विकृति एवं मेरुदंडीय चोट।	बीएल - दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं		
		बीए - दोनों हाथ प्रभावित		
		ओएल - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)		
		ओए - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)		
		बीएच - अकड़े हुए पीठ और कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)		
		बीएलए - दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित		
		ओएलए - एक पैर और एक हाथ प्रभावित		
		बीएलओए-दोनों पैर और एक हाथ		
		सीपी - प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात		
		एलसी - कुष्ठ रोग उपचारित		
		डीडब्ल्यू - बौनापन		
		एएवी- तेजाबी हमले से पीड़ित		
		एमडीवाई - मांसपेशीय कुपोषण		
		एसडी - मेरुदंडीय विकृति	बिना किसी न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के	
एसआई - मेरुदंडीय चोट				
(घ)	(i) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मानसिक रोग	एएसडी- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकृति (एम = माईल्ड, एमओडी = मॉडरेट)		
		आईडी - बौद्धिक अक्षमता		
		एसएलडी - विशिष्ट अधिगम अक्षमता		
		एमआई - मानसिक रोग		
(ड)	बधिर-दृष्टिहीनता सहित खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमताएं	एमडी - बहुविध दिव्यांगता		

3. विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा (वर्षों में)	
श्रेणी का नाम	अधिकतम आयु
सामान्य	
ईडब्ल्यूएस	
अन्य पिछड़ा वर्ग	
अनुसूचित जाति	
अनुसूचित जनजाति	
शारीरिक रूप से दिव्यांग	
सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा : 18	

4. अतिरिक्त सरकारी विभागों के लिए आयु में छूट	
आयु में छूट के लिए अतिरिक्त विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• दिल्ली नगर निगम</li> <li>• दिल्ली जल बोर्ड</li> <li>• एनडीएमसी</li> <li>• अन्य राज्य सरकारें</li> </ul>

5. शैक्षिक योग्यता	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	कृपया पद के लिए शैक्षिक योग्यता पर ध्यान दें -
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

6. पेशेवर पंजीकरण	
पंजीकरण/नामांकन/सदस्यता	आवश्यकता के प्रकार
<ul style="list-style-type: none"> <li>• एलोपैथी</li> <li>• आयुर्वेद / यूनानी</li> <li>• होम्योपैथी</li> <li>• आर्किटेक्चर</li> <li>• विधि</li> <li>• भारतीय पशु चिकित्सा परिषद</li> <li>• दंत चिकित्सा</li> <li>• चार्टर्ड एकाउंटेंट / कंपनी सेक्रेटरी</li> </ul>	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

7. भाषा	
भाषा	अपेक्षाओं के प्रकार
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

8. प्रकाशन		
प्रकाशनों की न्यूनतम संख्या	प्रकाशन की प्रकृति / विषय	अपेक्षाओं के प्रकार
		अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश		
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी		

9. एनईटी	
एनईटी योग्यता के प्रकार	
अनिवार्य /वांछनीय	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

10. गेट	
गेट योग्यता के प्रकार	
अनिवार्य /वांछनीय	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

11. सम्मेलन	
सम्मेलन के प्रकार	
राष्ट्रीय	
राष्ट्रीय	अनिवार्य /वांछनीय
अंतरराष्ट्रीय	
अंतरराष्ट्रीय	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

12. इंटर्नशिप	
इंटर्नशिप का प्रकार	
अनिवार्य /वांछनीय	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

13. अनुभव	
अनुभव की कुल अवधि	• वर्ष
आवश्यकता का प्रकार	अनिवार्य /वांछनीय
अनुभव श्रेणी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य</li> <li>• डीएनबी/डीएम/एम.सीएच कोर्सके दौरान प्राप्त अनुभव</li> <li>• अधिवक्ताओं का अभ्यास के तौर पर अनुभव</li> </ul>
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	कृपया अपने व्यावहारिक अनुभव का विवरण केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में भरें :-
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

14. वांछनीय योग्यता	
आवश्यकता / प्रकार / घोषणा	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	कृपया पद के लिए वांछनीय योग्यता पर ध्यान दें :-
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

15. भर्ती परीक्षा केंद्र
भर्ती पूर्व परीक्षा होने की दशा में केंद्रों का निर्णय आयोग द्वारा किया जाएगा
पन्द्रह केन्द्रों की सूची में से दो विकल्प*
केंद्र का नाम :
(भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, जयपुर, कोच्चि, मुंबई, रांची और विशाखापत्तनम)
*यदि पद हेतु पश्च भर्ती परीक्षा होने पर केंद्रों का निर्णय आयोग के ओआरए सेल द्वारा किया जाएगा।

पद का विवरण	
वेतनमान	
आयु	<p>आयु:</p> <p>सामान्य अंतिम तिथि के अनुसार _____ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य अंतिम तिथि के अनुसार उनकी आयु _____ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य अंतिम तिथि के अनुसार उनकी आयु _____ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमित रूप से नियुक्त केंद्रीय/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक की छूट। कुछ अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए लागू आयु छूट के लिए, कृपया 'चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त जानकारी' के प्रासंगिक कंडिका देखें।</p>
अनिवार्य योग्यता	<p>क. शैक्षिक :</p> <p>ख. अनुभव :</p>
वांछित योग्यता	
कार्य	
परिवीक्षा	
मुख्यालय	
अन्य ब्यौरे	
कोई अन्य शर्तें	

विज्ञापित नहीं किया जाना है

- i) मंत्रालय / विभाग से अधियाचना / अंतिम स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि (यदि कोई हो) ;
- ii) आईएफसी के अनुमोदन की तिथि :